न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः New No. 14/2022 (GCMS 2022/23), Old No. 30/2016 (RCMS 2016/00046)

वादीया

1. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण उम्र 55 निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र हरनाथसिंह
2. बहादूरसिंह पुत्र हरनाथसिंह
3. कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह
4. संतोष कंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत नि. सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
5. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल ब्रहाम्ण निवासी सरगोठ
6. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सरगोठ
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. पटवारी पटवार मण्डल सरगोठ जिला नागौर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा — वास्ते घोषणा करने, भू—विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ. धा.53, 188 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीया की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 26.7.2022

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 30.04.2018 को प्राथमिक डिक्री तथा दिनॉक 01.04.2019 को अन्तिम डिक्री आदेष पारित किये गये। प्रतिवादी नरपतसिंह द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय में अपील सं. 58/2019 नरपतसिंह बनाम विजयलक्ष्मी तथा अपील सं. 59/2019 नरपतसिंह बनाम विजय लक्ष्मी वगैरह दर्ज होकर सुनवाई की गई, बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने दिनॉक 27.07.2021 को आदेश पारित कर अपील सं. 58/2019 को अपील खारिज की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 30.04.2018 को यथावत रखा गया तथा अपील सं. 59/2019 में आंशिक अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का निर्णय 01.04.2019 को अपास्त किया जाकर निर्देश दिये कि बंटवारा प्रस्ताव राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार द्वारा तैयार करे तत्पश्चात विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम तैयार कर चाही गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द मौका बंटवारा स्कीम 23.02.2022 को तैयार कर कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2022/313 दिनॉक 28.02.2022 को इस कार्यालय में दिनॉक 09.03.2022 को प्रस्तुत होकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में बहस सुनी गई। फर्द मौका बंटवारा स्कीम 23.02.2022 का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के आदेश की पालना में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा पुनः स्वयं द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की गई। माफिक बंटवारा स्कीम दिनॉक 23.02.2022 अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । प्रकरण का अवकलोकन उपरोक्तानुसार फर्द मौका बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। उक्त फर्द मौका तहसीलदार कुचामनसिटी पटवारी हल्का सरगोठ ,आई.एल.आर.मण्डावरा द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अनुसार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाना उचित होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाता है।

आदेश

ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 212, 213 कुल रकबा 4.28 हैक्टर में वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 को फर्द मौका बंटवारा स्कीम रिपोर्ट दिनॉक 23.02.2022 में अंकित हक हिस्से एवं नजरी नक्शे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है । फर्द मौका बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26/7/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्याः New No. 14 / 2022 (GCMS 2022 / 23), Old No. 30 / 2016 (RCMS 2016 / 00046)

वादीया

1. विजय लक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राहम्ण उम्र 55 निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र हरनाथसिंह
2. बहादूरसिंह पुत्र हरनाथसिंह
3. कमल कंवर पत्नि हरनाथसिंह
4. संतोष कंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत नि. सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
5. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल ब्रहाम्ण निवासी सरगोठ
6. ईश्वरराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सरगोठ
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
8. पटवारी पटवार मण्डल सरगोठ जिला नागौर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा – वास्ते घोषणा करने, भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ. धा.53, 188 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 212, 213 कुल रकबा 4.28 हैक्टर में वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 को फर्द मौका बंटवारा स्कीम रिपोर्ट दिनॉक 23.02.2022 में अंकित हक हिस्से एवं नजरी नक्शे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है । फर्द मौका बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 7 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 221 दिनॉकः– 26.7.2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– **राजस्व वाद संख्याः New No. 14 / 2022 (GCMS 2022 / 23), Old No. 30 / 2016 (RCMS 2016 / 00046)** विजय लक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगैरह सरगोठ में डिक्री की पालना बाबत।

---X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के **राजस्व वाद संख्याः New No. 14 / 2022 (GCMS 2022 / 23), Old No. 30 / 2016 (RCMS 2016 / 00046)** विजय लक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगैरह सरगोठ में डिक्री जारी की गई है, जिसकी छाया प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक डिक्री पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

भीम BhIM भारत इंटरफेस मनी

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2022/313 दिनांक – 28.02.2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 14/2022 विजय लक्ष्मी बनाम नरपत सिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व/2022/7 दिनांक 20.01.2022

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 विजय लक्ष्मी बनाम नरपत सिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ. नि. मण्डावरा व पटवारी सरगोठ के द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

श्री ० पत्रावली
1/3/2022

फर्द मौका बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 23/2/2022 को श्रीमान तहसीलदार सा0 कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक / [illegible] दिनांक 31/01/2022 की पालना मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के समक्ष वाद स. 14/2022 विजयलक्ष्मी बनाम नरपतसिंह वगैरह में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टर ख.न. 213 रकबा 4.27 है. किता 2 रकबा 4.28 हैक्टर के मौके पर हमराह पटवारी हल्का सरकोरा के साथ पहुंचा। मौके पर काबिज खातेदारान अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गयी। चालू जमाबन्दी अनुसार ग्राम पदमपुरा के खाता स. 15 के खसरा नम्बर 212 व 213 की खातेदारी ईश्वरराम पुत्र भैरूलाल जाति नाई किरणकंवर पुत्री रतनसिंह नरपतसिंह पुत्र रतनसिंह बहादुरसिंह पुत्र रतनसिंह मनफूलकंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण विजयलक्ष्मी पत्नि रामगोपाल जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है। मौके पर काबिज खातेदारान अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की गयी जिसका नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

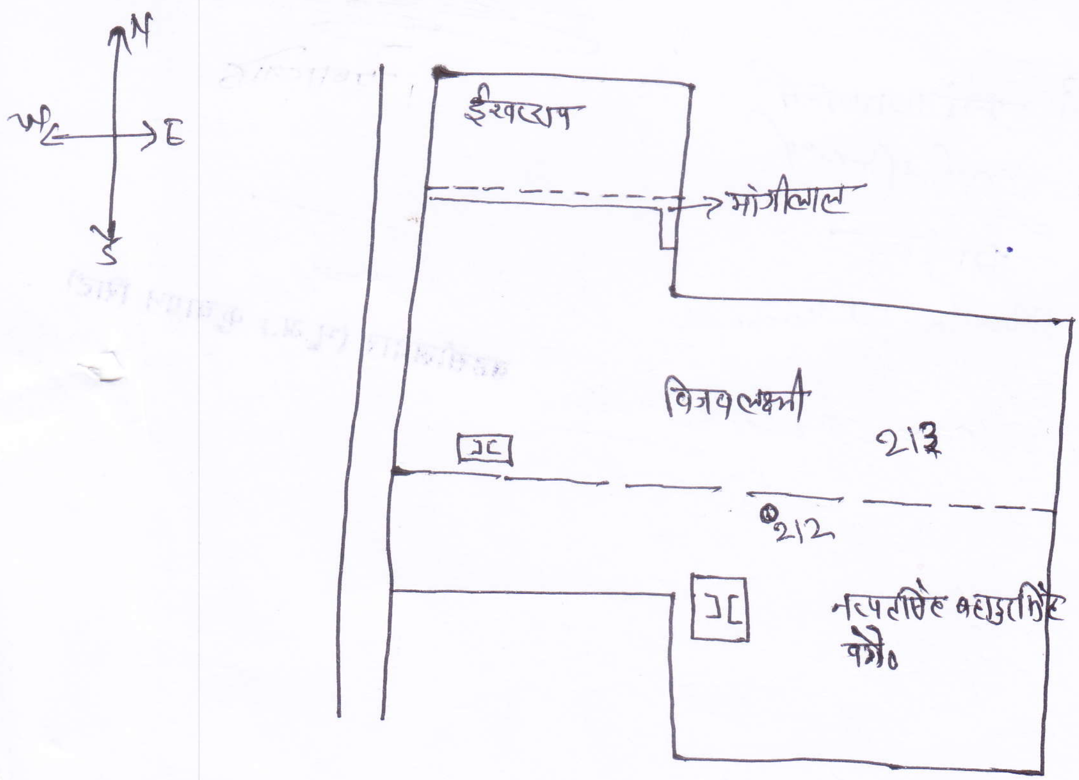

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा	रकबा
2	इन्द्रराज पुत्र भैरुलाल जाति जाट सा. पदमपुरा खातेदार	213	0.64 हैक्टर
3	भोगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण सा. पदमपुरा खातेदार	213	0.03 हैक्टर
4.	नरपतसिंह हि. 17122/54750 बहादुरसिंह हि. 17122/54750 पिता हरनाथसिंह किरणकंवर पुत्री हरनाथसिंह हि. 1128/18250 मनफूलकंवर पत्नि नरपतसिंह हि. 17122/54750 जाति राजपूत सा. पदमपुरा खातेदार	213 212 किता 2	1.815 हैक्टर 0.01 हैक्टर 1.825 हैक्टर

उपरोक्तानुसार नजरी नक्शेनुसार मौकानुसार बेरपाप स्कीम तैयार की जाकर मौके पर हस्ताक्षर कराये गये।

[illegible]
JCR [illegible]

[illegible]
पंचगवाह

विजयलक्ष्मी [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
Madanlal Kachawal
Krishna Chandra Sharma

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी